(1)

विभाग का नामः— खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।

प्रेस नोट

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 03 एवं धारा 05 सहपठित जी0एस0आर0—213 (अ), दिनांक 20 मार्च 2015 एवं भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के द्वारा निर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका 15 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 को संशोधित करते हुए बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 निर्गत किया जाएगा।

जिला पदाधिकारी, द्वारा बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका—32 (i) मे प्रदत्त शक्तियाँ जिला में पदस्थापित अपर जिला दण्डाधिकारी से अन्यून पदाधिकारियों को प्रत्यायोजित किये जाने के फलस्वरूप अपील वादों का निष्पादन सुगमता पूर्वक संभव हो सकेगा।

हस्ताक्षरः— 23/3/22

नामः— विनय कुमार

पदनामः— सचिव।

C:\Users\Admin\Desktop\New Sanlekh 14-03-2022\sanlakh 14-03-2022.docx

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

2

प्रेस–नोट

हिन्दी चलचित्र "द कश्मीर फाईल्स" के लिए मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों में प्रवेश हेतु प्रभारित प्रवेश शुल्क पर देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) प्रभारित नहीं किये जाने से इसकी कीमतो में कमी होगी और इस फिल्म को अधिकाधिक देखा जा सकेगा।

25/3/22

(डॉ० प्रतिमा)
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव,
बिहार, पटना।

3

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2021–22 में खरीफ विपणन मौसम 2020–21 एवं उत्तरोत्तर वर्षों के लिए राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापारमंडलों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक को प्रबंधकीय अनुदान मद की राशि तथा गनीबैग प्रतिपूर्ति अनुदान की राशि के भुगतान हेतु धान अधिप्राप्ति की मात्रा के अनुरूप वर्णित मदों में व्यय होनेवाली राशि के निर्धारण/स्वीकृति एवं व्यय के लिए विभाग सक्षम प्राधिकार माना जायेगा, की स्वीकृति दिया गया।

16/3/2022

(बन्दना प्रेयषी)
सरकार के सचिव।
सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना।

C:\Users\hp\Desktop\Prabandhikiye Anudaan 14-03-2022\Press Note.doc

(4)

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्रांक–1876 दिनांक 19.10.2006 के आलोक में

विभाग का नाम :– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

श्री प्रभाष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 894/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पीरो, भोजपुर सम्प्रति निलंबित को "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हरता होगी" का दण्ड दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

हस्ताक्षर :– 23/3/2022

नाम :– चैतन्य प्रसाद

पदनाम :– अपर मुख्य सचिव

(उत्तरदायी विभाग में प्रधान सचिव के पद से अन्यून)

5

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्रांक—1876 दिनांक 19.10.2006 के आलोक में

विभाग का नाम :— सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

श्री रमेश प्रसाद दिवाकर, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1208/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी, गया सम्प्रति निलंबित को "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हरता होगी" का दण्ड दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

हस्ताक्षर :— 23/3/2022

नाम :— **चैतन्य प्रसाद**

पदनाम :— **अपर मुख्य सचिव**

(उत्तरदायी विभाग में प्रधान सचिव के पद से अन्यून)

प्रेस नोट

संचिका संख्या–3/आ01–137/2017(अंश) ....
बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

श्री (डॉ0) सुधीर कुमार झा, तत्का0 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), दरभंगा सम्प्रति– निलंबित को प्रमाणित गंभीर वित्तीय आरोपों के लिए वृहत दण्ड "सेवा से बर्खास्त (Dismissal)" का निर्णय लिया गया है।

(संजय कुमार)
अपर मुख्य सचिव

7

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

प्रेस नोट

कोल वितरण नीति 2007 के तहत लघु, मध्यम एवं अन्य वर्ग के उद्योगों को कोयला वितरण हेतु बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि0 को तीन वर्ष के लिए (दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2025 तक) राज्य नामित एजेंसी (State Nominated Agency) नामित किये जाने की आवश्यकता है, ताकि लघु, मध्यम एवं अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयला उपलब्ध करायी जा सके।

26/3/22
(हरजोत कौर बम्हरा)
प्रधान सचिव

8 28/35

<u>सं0सं0–14/विविध–08/2021</u>

518 (14)
15.03.2022

बिहार सरकार
<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

बिहार राज्य के पदाधिकारियों/कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु अनुमान्य बहिर्वासी रोगों की सूची में आठ (08) अन्य रोगों को सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की गई, जो निम्नवत् है :–

(i) रूमेटी गठिया (Rheumatoid Arthritis)

(ii) क्रोहन रोग (Crohn's Disease)

(iii) अतिगलग्रंथिता (Hyperthyroidism)

(iv) सोरायसिस (Psoriasis)

(v) लाइकेन प्लानस (Lichen Planus)

(vi) मस्तिष्क पक्षाघात (Clerebral Palsy)

(vii) पार्किंसन रोग (Parkinson's disease)

(viii) पेल्विक इंफ्लमेट्री डिजीज (Pelvic inflammatory)

15/03/22
(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव

D/P/Sanlekh

प्रेस नोट

भागलपुर जिलान्तर्गत सुन्दरवती महिला कॉलेज से मिरजानहाट पथ के तीसरे कि०मी० में रेलवे ब्रिज नं० 152 के स्थान पर ROB के निर्माण हेतु कुल राशि ₹11789.00 लाख (एक सौ सत्तरह करोड़ नवासी लाख) मात्र हेतु अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

(प्रत्यय अमृत)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Amit Kumar\Dubey Sir's doc/sanlekh AA\ROB Sanlekh 2021-22ROB/ 159,70A,56,31

विभाग का नामः- **वित्त विभाग, बिहार, पटना ।**

प्रेस नोट

वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित/प्रभावितों को राहत दिये जाने तथा भारत सरकार से केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए प्राप्त राशि ससमय व्यय हेतु अपेक्षित अतिरिक्त राशि की पूर्त्ति हेतु बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रुपये है, को वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में 30 मार्च, 2023 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 9500 करोड़ (नौ हजार पाँच सौ करोड़) रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

1/4/2022

(एस0 सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
गृह विभाग
प्रेस नोट

11

बिहार अग्निशाम सेवा के रद्दीकृत 107 अद्द अग्निशामक वाहनों/उपकरणों के विरूद्ध शेष 73 अद्द नये अग्निशामक वाहनों के क्रय की कुल लागत राशि ₹ 4380.00 लाख (तैंतालीस करोड़ अस्सी लाख रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।

बिहार अग्निशाम सेवा में 107 अद्द अग्निशामक वाहनों/उपकरणों (बड़ी, छोटी वाटर टेण्डर, मिस्ट टेक्नोलॉजी, जिप टेण्डर, जिप्सी एवं पोर्टेबुल पम्प को रद्दीकृत किया गया है। उक्त 107 अद्द रद्दीकृत अग्निशामक वाहनों/उपकरणों के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 34 अद्दी बड़ी अग्निशामक वाहनों का क्रय किया गया है। शेष 73 अद्द रद्दीकृत अग्निशामक वाहनों/उपकरणों के विरूद्ध 73 अद्द नये अग्निशामक वाहनों का क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अग्निशामक वाहनों के क्रय से अग्निकाण्डों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सकेगा।

(चैतन्य प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

प्रेस नोट

वित्त विभाग

सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/01/2022 के प्रभाव से 31% के स्थान पर 34% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4/4/2022
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्रांक–1876 दिनांक–19.10.06 के आलोक में।

प्रेस नोट

निवेश आयुक्त, मुम्बई कार्यालय की स्थापना एवं 01 अप्रैल, 2022 के प्रभाव से एक वर्ष तक संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रु0 382.23 लाख (तीन करोड़ बयासी लाख तेईस हजार रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई है।

यह कार्यालय उद्योगपतियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने, उन्हें बिहार में पूंजी निवेश के लिए अवसरों/परियोजनाओं का चयन करने/पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित करने और इस उद्धेश्य से निवेशकों को राज्य सरकार से समन्वय स्थापित करने में सहायता का कार्य करेगा।

बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य में 05 अप्रैल, 2016 से पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। मद्यनिषेध का कार्यान्वयन हेतु 02 अक्टूबर, 2016 से बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू है। मद्यनिषेध का कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर वर्ष 2018 एवं 2020 में संशोधन किये गये थे। अभी हाल में अधिनियम में प्रक्रियात्मक सुधारों को शामिल किये जाने के निमित्त अधिनियम, 2016 में पुनः संशोधन करते हुए बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 अधिसूचित किया गया है और यह 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी है।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 यथा संशोधित अधिनियम, 2018 एवं 2020 के प्रावधानों के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 गठित है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रावधानों के आलोक में नियमावली में संशोधन किया जाना आवश्यक है। इस निमित्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 का प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति अपेक्षित है।

मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के फलस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु नियमावली प्रभावी हो सकेगी। इससे कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्य बोझ में कमी आने के साथ–साथ शराब के अवैध आपूर्तिकत्ताओं/तस्करों पर ध्यान केन्द्रित हो सकेगा और उनके विरूद्ध त्वरित दण्डात्मक कार्रवाई हो सकेगी।

(के0के0 पाठक)
सरकार के अपर मुख्य सचिव
बिहार, पटना।